

## भारतीय मानक व्यूरो

चल संपत्ति के लेन-देन

VG

2

चल संपत्ति के लेन-देन हेतु सी. सी. एस (आचरण) नियम, १९६४ के नियम १८(३) के  
अंतर्गत सूचना देने अथवा अग्रिम अनुमति लेने हेतु प्रपत्र

1.	नाम	पदनाम
2.	वेतनमान व वर्तमान वेतन	
3.	निवेदन का मंतव्य	लेन-देन की अनुमति/लेन-देन की सूचना
4.	क्या संपत्ति अर्जित /निपटान किया जा रहा है	
5.	क) संपत्ति के अर्जन/निपटान की संभावित तिथि	
	ख) यदि संपत्ति पहले ही अर्जित/निपटान की जा चुकी है - लेन-देन की वास्तविक तिथि	
6.	क) संपत्ति का विवरण (जैसे कि कार/ स्कूटर/ मोटर साइकल/ फ्रिज/ रेडियो/ रेडियोग्राम/ टीवी/ जेवरात/ कर्ज/ बीमा पालिसियाँ आदि)	
	ख) मेक, माडल (और वाहनों के विषय में पंजिकरण संख्या, जैसा आवश्यक हो)	
7.	अर्जन/निपटान की पद्धति (खरीद/विक्रय, तोहफा, गिरवी, लीज या अन्य प्रकार से)	
8.	संपत्ति के क्रय/विक्रय का मूल्य (तोहफों के मामले में उनका बाजार भाव)	
9.	अर्जन के मामले में, स्त्रोत व स्त्रोतों से अर्थ-प्रबंध किया/किया जाना है	
	क) निजि बचत	
	ख) अन्य स्त्रोत, विवरण दें	
10.	संपत्ति के निपटान के मामले में, क्या उसके अर्जन हेतु अपेक्षित अनुमति/सूचना ली/दी गई थी (अनुमति/स्वीकृती की प्रति संलग्न करना होगा )	

11.	क) पक्ष का नाम व पता जिसके साथ लेन-देन होने की अपेक्षा है/हो चुकी है	
	ख) क्या पक्ष निवेदक से नाता रखता है ? यदि हाँ, तो नातेदारी बताएँ	
	ग) क्या निवेदक का उस पक्ष से अधिकारिक क्षमता में कभी कोई लेन-देन हुई है, या भविष्य में लेन - देन की संभावना है ?	
	घ) पार्टी से अधिकारिक लेन-देन की प्रकृति	
	ड) लेन-देन कैसे व्यवस्थित की गई थी ? (क्या कियी वैधानिक संस्था या निजि एजेंसी के द्वारा, इश्तेहार के द्वारा, अथवा मित्रों या बंधुओं के द्वारा, पूर्ण विवरण दें )	
12.	तोहफे द्वारा अर्जन के मामले में, क्या सी. सी. एस. (आचरण) नियम १३ के तहत भी अनुमति लेना आवश्यक है	
13.	निवेदक किसी अन्य तथ्य का वर्णन करना चाहता हो	

#### घोषणा

मैं, ----- एतदवारा घोषित करता हूँ कि उपर दिए गए विवरण सत्य हैं । मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे उस पक्ष से, जिसका नाम उपर मद ११ में वर्णित किया है, उपरोक्त संपत्ति के अर्जन/निपटान करने की अनुमति प्रदान करें

#### अथवा

मैं, ----- एतदवारा संपत्ति के अर्जन/निपटान की सूचना देता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दिए गए विवरण सत्य हैं

हस्ताक्षर	पदनाम	कर्मी संख्या
विभाग/अनुभाग	दिनांक	स्टेशन

संबद्ध माध्यम के द्वारा

नोट : 1 - उपर के फार्म में विभिन्न भागों का आवश्यकतानुसार उपयोग करें

नोट 2 - जब अग्रिम अनुमति की माँग की जा रही हो, लेन-देन के मात्र्य तिथि से, कम से कम ३० दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा